राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12585/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
चेतनस्वरूप सिंह कच्छावा 09, अमर सिंह मार्ग, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी राज. राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जे.डी.ए. के पास जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजवर्द्धन, संयुक्त निदेशक, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 4-5-17 के द्वारा आदेश दिनांक 8-4-94, 21-8-86, 31-7-99 आदि के सम्बन्ध में 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि समुचित रुप से कार्यवाही कर पत्र दिनांक 2-6-17 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था एवं पत्र दिनांक 6-7-17 से भी अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि वह दिनांक 17-7-17 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें किन्तु अपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ तथा प्रथम अपील खारिज कर दी गई।

6. आयोग द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस दिनांक 21-12-17 एवं नोटिस दिनांक 16-2-18 जारी करने के उपरान्त भी अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17-7-17 में अंकित तथ्यों को तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया व अपील में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में सूचना के आवेदन के अनुक्रम में विशिष्टिया उपलब्ध करवा दें तो उन्हें पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना का शुल्क प्राप्त कर, सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

7. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त